औद्योगिक अधिकरण के समक्ष उन बिंदुओं का अनुरोध करें ताकि वह 26 अक्तूबर, 1967 के करार के खंड 13 के अनुसार कर्मकारों द्वारा साझा किए जाने वाले अलोकेबल अधिशेष के सही निर्धारण पर पहुंच सकें। हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि सड़क कर सकल मुनाफे में से काटा जाएगा और "वर्ष 1966-67" को 1 नवंबर, 1966 से 31 मार्च, 1967 की अवधि के रूप में लिया जाएगा।

(10) ऊपर दिए गए कारणों के लिए, इस रिट याचिका को ऊपर उल्लिखित सीमा तक स्वीकार किया जाता है और 20 जनवरी, 1968 के औद्योगिक न्यायाधिकरण के फैसले और 6 फरवरी, 1968 को हरियाणा सरकार के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित किया जाता है। इस मामले को ऊपर की गई टिप्पणियों के आलोक में नए सिरे से निर्णय लेने के लिए विद्वान औद्योगिक न्यायाधिकरण को भेज दिया जाता है। चूंकि अंक कठिनाई से मुक्त नहीं थे, इसलिए मैं पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ देता हूं।

एन.के.एस.

अपीलीय सिविल

न्यायमूर्ति एच. आर. सोढ़ी के समक्ष

बुधन, - ***अपीलकर्ता।***

बनाम

मैम राज, - उत्तरदाता

1968 के आदेश संख्या 62 (एम) से पहली अपील

25 सितंबर, 1969

हिंदू विवाह अधिनियम (1955 का XXV) - धारा 5, 9, 10 और 13 - वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए याचिका - उम्र के आधार पर विवाह की अमान्यता या शून्यता - क्या बचाव में दलील दी जा सकती है।

यह माना गया है कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5 द्वारा निर्धारित अपेक्षित आयु प्राप्त नहीं करने वाले पक्षों के बीच विवाह नहीं होने पर विवाह वैध नहीं हो सकता है, लेकिन अधिनियम की धारा 9 के तहत वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए एक याचिका के जवाब में विवाह की अमान्यता या शून्यता का बचाव नहीं किया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए दायर

याचिका के जवाब में कुछ भी दलील नहीं दी जाएगी जो न्यायिक अलगाव या विवाह की शून्यता या तलाक के लिए आधार नहीं होगा। तथ्य यह है कि पार्टियों की उम्र के संबंध में अधिनियम की धारा 5 के तहत निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करते हुए विवाह किया गया है, इसे अधिनियम की धारा 10 और 13 के तहत न्यायिक अलगाव या तलाक के लिए आधार नहीं बनाया गया है। यह *अधिनियम की धारा 11 के तहत अमान्य ता की डिक्री का आधार भी नहीं है। इसलिए वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए एक याचिका में, उत्तरदाता के लिए यह दलील देने का विकल्प नहीं है कि विवाह उन पत्नियों के बीच हुआ था जिन्होंने अपेक्षित आयु प्राप्त नहीं की थी।*

(पैरा 6)

श्री सी डी. वशिष्ठ, उप-न्यायाधीश, प्रथम श्रेणी, अंबाला शहर (जिला न्यायाधीश की प्रत्यायोजित शक्तियों के साथ) के न्यायालय के आदेश से प्रथम अपीलके तहत दिनांक 30 अप्रैल, 1968 *को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 के तहत इस याचिका की लागत* के साथ मामराज, याचिकाकर्ता और बुधन के खिलाफ वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए एक डिक्री पारित करते *हुए, जैसा कि इस याचिका में अनुरोध किया गया है, और आगे आदेश दिया कि धारा* 193 *के तहत आवश्यक शिकायत की जाए। कानून के अनुसार, इन न्यायिक कार्यवाहियों में जानबूझकर झूठे सबूत देने के लिए उत्तरदाता और उसके गवाहों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता तैयार की जाए और इसे अंबाला में एक सक्षम आपराधिक अदालत में मुकदमे के लिए स्थापित किया जाए।*

अपीलकर्ता की ओर से हरबंस लाल, एडवोकेट

जी.एस. उत्तरदाता की ओर से ग्रेवाल, एडवोकेट

निर्णय

सोढ़ी, न्यायमूर्ति- यह श्रीमती बुधन की अपील है, जिसके खिलाफ हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (इसके बाद अधिनियम कहा जाता है) की धारा 9 के तहत वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए एक डिक्री ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित की गई थी। मामराज याचिकाकर्ता (प्रतिवादी) द्वारा उपरोक्त याचिका में आरोप लगाया गया था कि उनके और श्रीमती भूदान के बीच विवाह 19 जून, 1965 को गांव गोंडपुरा, तहसील नारायणगढ़ में हुआ था, और वे दोनों शादी के बाद आखिरी बार गांव तलहेड़ी, तहसील और जिला अंबाला में पति-पत्नी के रूप में एक साथ रहते थे।

(2) याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उत्तरदाता बिना उचित बहाने के अपने पिता और मां के

प्रभाव में अपने समाज से हट गया, जो किसी अन्य व्यक्ति से उसकी शादी करने के लिए दृढ़ थे। यह आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता ने उसे वापस भेजने के लिए उत्तरदाता के माता-पिता के साथ प्रयास किया लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। परिणामस्वरूप वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए एक याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने याचिका का विरोध किया और दलील दी कि शादी 19 जून, 1965 को तय की गई थी, लेकिन वास्तव में यह कभी नहीं हुई क्योंकि लड़के के माता-पिता ने धोखाधड़ी की थी। याचिका में कहा गया है कि दुल्हन को कोई अन्य लड़का दिखाया गया था और 19 जून, 1965 को वर्तमान याचिकाकर्ता के साथ विवाह पक्ष आया था, लेकिन विवाह नहीं किया गया था। दूसरे शब्दों में, याचिकाकर्ता और उत्तरदाता को पति और पत्नी के रूप में दर्जा देने से इनकार कर दिया गया था। यह भी तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता नाबालिग था, मुश्किल से 12 वर्ष का था और कथित विवाह के समय उत्तरदाता की उम्र भी लगभग 15/16 वर्ष थी, और इसलिए कोई भी विवाह वैध रूप से नहीं हो सकता है। पक्षकारों के अनुरोध पर निम्नलिखित मुद्दे तैयार किए गए थे -

1. क्या ममराज और बुधन की शादी 19 जून, 1965 को हुई थी?

2. यदि मुद्दा संख्या 1 साबित हो जाता है, तो क्या विवाह शून्य है जैसा कि उत्तरदाता ने उत्तर के पैरा नंबर 3 में आरोप लगाया है?

3. राहत।

(3) ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ता के पक्ष में मुद्दा नंबर 1 और उत्तरदाता के खिलाफ मुद्दा नंबर 2 पाया। इसलिए, वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए एक डिक्री पारित की गई थी।

(4) इस अपील में केवल एक ही सवाल है कि क्या दोनों पक्षों के बीच विवाह वास्तव में 19 जून, 1963 को हुआ था या नहीं। दोनों पक्षों के बीच यह आम बात है कि 19 जून, 1965 को दुल्हन के गांव में ब्राट आया था, लेकिन विवाद इस आधार पर शादी के फेरे लेने या नहीं करने को लेकर है कि लड़का उस लड़के से अलग निकला जो मूल रूप से सगाई तय करते समय दिखाया गया था। एटर एक्ज़िबिट ए 1 को छोड़कर रिकॉर्ड का कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह उत्तरदाता की ओर से पंडित द्वारा लिखा गया था और याचिकाकर्ता को संबोधित किया गया था जो पार्टियों के बीच शादी की तारीख तय करता था। इस पत्र पर कुछ भी नहीं होता है क्योंकि यह

किसी का मामला नहीं है कि विवाह 19 जून, 1965 को गोंडपुरा गांव में तय नहीं किया गया था। विवाह के तथ्य के संबंध में दोनों पक्षों द्वारा मौखिक साक्ष्य का नेतृत्व किया गया था। ट्रायल कोर्ट ने मामले की परिस्थितियों पर भरोसा करते हुए याचिकाकर्ता द्वारा पेश किए गए सबूतों पर विश्वास किया है, और मेरी राय में, सही है। उत्तरदाता की कहानी एक मनगढ़ंत और काफी झूठी लगती है। याचिकाकर्ता के बयान का समर्थन एडब्ल्यू 1, बालक राम ने किया है, जो एक पंडित हैं और *फेरे की* रस्म अदा करते हैं। वह वह व्यक्ति है जिसने पत्र प्रदर्शनी ए 1 भी लिखा था। उनके अनुसार, वह शादी के समय काम करने वाले एकमात्र पंडित थे क्योंकि उत्तरदाता पक्ष के पास अपना कोई पंडित नहीं था। इस गवाह के बयान की पुष्टि एडब्ल्यू ने की है। 2, जो ग्राम पंचायत का सरपंच हो/ एक और गवाह एडब्ल्यू 3 मुख्तियारा है जो याचिकाकर्ता के मामले का समर्थन करता है और काफी स्वतंत्र है। उनकी गवाही पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है और ट्रायल कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया है। अपीलकर्ता के विद्वान वकील मुझे यह समझाने में सक्षम नहीं हैं कि इन गवाहों के बयानों को अस्वीकार करने के लिए कोई अच्छे कारण हैं। A.W. 4 भी काफी विश्वसनीय है। रुला राम, एडब्ल्यू 5, याचिकाकर्ता के पिता हैं। उसने विवाह के समय लड़के की आयु 18 वर्ष बताई। याचिकाकर्ता भी एडब्ल्यू के रूप में पेश हुए। 8 अपने मामले के समर्थन में। यह बहुत असंभव है कि शादी की पार्टी दुल्हन के गांव में गई थी, लेकिन वास्तव में कोई समारोह नहीं किया गया था। यदि उत्तरदाता द्वारा लगाए गए आरोप के अनुसार ऐसी कोई धोखाधड़ी हुई थी, तो *पंचायत* या स्थानीय अधिकारियों से शिकायत की जाएगी, लेकिन उत्तरदाता की ओर से कुछ भी नहीं किया गया। ऐसा लगता है कि शादी के बाद उत्तरदाता ने पाया कि याचिकाकर्ता के हाथ की दो उंगलियां गायब थीं और इसे कुष्ठ रोग का मामला होने का संदेह था। याचिकाकर्ता के गवाहों ने स्वीकार किया है कि याचिकाकर्ता के एक हाथ की दो उंगलियां मौजूद नहीं हैं और उस उत्तरदाता को उसके माता-पिता ने इस आधार पर नहीं भेजा था कि याचिकाकर्ता कुष्ठ रोग से पीड़ित थी। रिकॉर्ड पर यह स्थापित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि याचिकाकर्ता वास्तव में कुष्ठ रोग से पीड़ित है।

(5) उत्तरदाता के साक्ष्य में आरडब्ल्यू 1 बनारसी दास, आरडब्ल्यू 2 बिलासा, आरडब्ल्यू 3 जांगू, आरडब्ल्यू 4 रूलिया, आरडब्ल्यू 5 तेज राम और खुद को आरडब्ल्यू के रूप में शामिल किया गया है। 6. यह स्वीकार किया जाता है कि *ब्राट* उनके गांव में आया था और रात का खाना खाया था। हालांकि, इस बात से इनकार किया जाता

है कि कोई फेरे किए गए थे। इन गवाहों के अनुसार लड़की की उम्र लगभग 16 साल थी। ऐसा लगता है कि जिरह के दबाव में आए ज्यादातर गवाहों ने ऐसे बयान दिए जो स्पष्ट रूप से झूठे हैं। उनके बयानों में भौतिक विसंगतियां हैं जो उनकी गवाही को अविश्वसनीयता के साथ मुहर लगाती हैं। यहां तक कि उत्तरदाता ने उसकी सगाई से भी इनकार कर दिया। वह क्रॉस-एग्जामिनेशन में पूछे गए लगभग हर सवाल के लिए 'ना' कहती रहीं। आरोपी के पिता तेज राम ने एक सबसे असंभव बयान दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी बेटी को ठीक करने से पहले दूल्हा-दुल्हन को नहीं देखा और न ही उन्हें उस लड़के के पिता का नाम पता था जिसे उत्तरदाता के भाई को दिखाया गया था। यह विश्वास करना आसान नहीं है कि जो व्यक्ति अपनी बेटी को शादी में देता है, वह लड़के या उसके पिता का नाम जाने बिना अपनी बेटी को ठीक कर देगा। मुझे अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा साक्ष्य के माध्यम से लिया गया है, लेकिन वह कोई ठोस कारण नहीं बता पाए हैं जो मुझे मौखिक साक्ष्य के मूल्यांकन के संबंध में ट्रायल कोर्ट से अलग दृष्टिकोण लेने के लिए प्रेरित कर सके। वकील ने दलील दी है कि भले ही यह माना जाए कि विवाह वास्तव में संपन्न हुआ था, लेकिन यह एक वैध विवाह नहीं था क्योंकि दोनों पक्षों ने कानून द्वारा निर्धारित आयु पूरी नहीं की थी। उन्होंने मेरा ध्यान हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 की ओर दिलाया है जिसमें वैध विवाह के लिए आवश्यक शर्तें निर्धारित की गई हैं। यह निम्नानुसार है -

"5. किन्हीं दो हिंदुओं के बीच विवाह किया जा सकता है, यदि निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाता है, अर्थात्:-

*　　*　　*

(ii) विवाह के समय वर-वधू अठारह वर्ष की आयु और दुल्हन पंद्रह वर्ष की आयु पूरी कर चुके होते हैं;

*　　*　　*

(6) कानून द्वारा निर्धारित अपेक्षित आयु प्राप्त नहीं करने वाले संबंधों के बीच नहीं किए जाने पर विवाह वैध नहीं हो सकता है, लेकिन वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए एक याचिका के जवाब में विवाह की अमान्यता या शून्यता का बचाव नहीं किया जा सकता है। धारा 9 की उप-धारा (2) जो वैवाहिक अधिकारों की बहाली के माध्यम से राहत प्रदान करती है, निम्नलिखित

शर्तों में है: -

"(2) वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए एक याचिका के जवाब में कुछ भी दलील नहीं दी जाएगी जो न्यायिक अलगाव या विवाह की शून्यता या तलाक के लिए आधार नहीं होगा।"

धारा 10 उन आधारों से संबंधित है जिन पर न्यायिक अलगाव हो सकता है और धारा 13 उन आधारों को बताती है जिनके आधार पर तलाक की डिक्री द्वारा विवाह को भंग किया जा सकता है। तथ्य यह है कि पार्टियों की उम्र के संबंध में धारा 5 के तहत निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करते हुए विवाह किया गया है, इसे कानून के इन प्रावधानों में से किसी में भी न्यायिक अलगाव या तलाक के लिए आधार नहीं बनाया गया है। यह शून्यता के आदेश का आधार भी नहीं है। धारा 11 में ऐसे मामलों का प्रावधान है जब अधिनियम के लागू होने के बाद किया गया विवाह किसी भी पक्ष द्वारा प्रस्तुत याचिका पर अमान्य और अमान्य होगा और केवल धारा 5 के खंड (i), (iv) और (v) के उल्लंघन को वह उल्लंघन माना गया है जो विवाह के लिए एक पक्ष को शून्यता की डिक्री प्राप्त करने का अधिकार देता है। यहां, फिर से खंड (iii) जो दोनों पति-पत्नी की उम्र के संबंध में शर्त से संबंधित है, को शून्यता के लिए आधार नहीं बनाया गया है। इसलिए, यह माना जाना चाहिए कि वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए एक याचिका में, उत्तरदाता के लिए यह दलील देना खुला नहीं है कि विवाह उन पत्नियों के बीच हुआ था जिन्होंने अपेक्षित आयु प्राप्त नहीं की थी।

(7) अपीलकर्ता के वकील ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि जानबूझकर झूठे सबूत देने के कथित अपराध के लिए उत्तरदाता और उसके लिए पेश होने वाले सभी गवाहों पर मुकदमा चलाने का निर्देश देने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को बनाए नहीं रखा जाना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि ट्रायल कोर्ट ने इस बात की सराहना नहीं की है कि दंड प्रक्रिया संहिता में धारा 479 (ए) पेश की गई है, जिसके तहत यह प्रावधान किया गया है कि धारा 476 से 479 में निहित किसी भी चीज के बावजूद, एक सिविल, राजस्व या आपराधिक न्यायालय झूठी गवाही के लिए मुकदमा चलाने का आदेश केवल तभी दे सकता है जब वह अपने फैसले में एक विशिष्ट निष्कर्ष दर्ज करता है कि एक गवाह ने न्यायिक कार्यवाही के किसी भी चरण में जानबूझकर झूठे सबूत दिए हैं। झूठी गवाही की बुराई के उन्मूलन के लिए और न्याय के हित में, यह समीचीन है कि ऐसे गवाह पर उस अपराध के लिए मुकदमा चलाया जाना चाहिए जो उसके द्वारा किया गया प्रतीत होता है। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने यह नहीं कहा है कि झूठी गवाही की बुराई के उन्मूलन के लिए, गवाहों का अभियोजन आवश्यक है। जो भी हो, कोई कठोर और तेज नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि अभियोजन कब शुरू किया जाना चाहिए और यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

यह निर्धारित करने के लिए कि क्या न्याय के अंत में अभियोजन पक्ष समीचीन है, संबंधित न्यायालय से मामले की प्रकृति और न्यायालय के समक्ष पार्टियों सहित कई कारकों पर सावधानीपूर्वक और संतुलित निर्णय लेने की उम्मीद की जाती है। केवल यह तथ्य कि एक अदालत ने कुछ गवाहों पर अविश्वास किया है, अभियोजन का आदेश देने का कोई आधार नहीं है। यह सच है कि उत्तरदाता अपने मामले को साबित करने में विफल रही है, लेकिन उसके साक्ष्य में कुछ परिस्थितियां पाई जाती हैं जो यह दर्शाती हैं कि याचिकाकर्ता के कुष्ठ रोग से पीड़ित होने के बारे में कुछ विवाद था। यह एक वैवाहिक कारण था जिसमें जानबूझकर झूठे बयानों के लिए पति या पत्नी में से किसी एक के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश देने में अधिक सावधानी बरतनी थी। मेरी राय में, उत्तरदाता और उसके द्वारा पेश किए गए गवाहों के अभियोजन के आदेश को इस आधार पर कायम नहीं रखा जा सकता है कि ट्रायल कोर्ट ने धारा 479 (ए) की आवश्यकताओं का पालन नहीं किया है और इसलिए भी कि उत्तरदाता और उसके गवाहों पर मुकदमा चलाना न्याय के हित में नहीं है । यह उल्लेख किया जा सकता है कि उत्तरदाता मुश्किल से 16 वर्ष की उम्र की एक युवा लड़की है और दुर्भाग्य से वैवाहिक विवाद उत्पन्न हुआ जिसने पक्षों को अदालत में धकेल दिया।

(8) पूर्वगामी कारणों से और ट्रायल कोर्ट के फैसले में इस आशय के संशोधन के साथ कि उत्तरदाता और उसके गवाहों के अभियोजन पक्ष के आदेश को रद्द कर दिया जाता है, अपील लागत के रूप में बिना किसी आदेश के विफल हो जाती है।

एन.के.एस.

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय, वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके, और किसी अन्य उद्देश्य के लिया इसका उपयोग नहीं किया जा सकेगा। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

रवि अमितोज़
प्रशिक्षु न्यायिक
अधिकारी